आसीएस ए 402/2026
श्रीमती माला गुर्जर बनाम सौरभ गुर्जर आदि

30.07.2026 **01:45 बजे।**

वादी अनुपस्थित।

वादी की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित।

प्रकरण प्रतिवादीगण की उपस्थिति, वादोत्तर प्रस्तुति एवं विवाद्यकों के स्थिरीकरण व आई.ए. क्रमांक 1/26 आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के जवाब हेतु नियत है।

वादी एवं उसके अधिवक्ता को बार–बार पुकार लगायी गयी। पुकार उपरांत कोई उपस्थित नहीं।

वादी एवं अधिवक्ता की उपस्थिति हेतु कुछ समय पश्चात प्रस्तुत हो।

(चाहना शर्मा)
नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
ग्वालियर, म0प्र0

पुनश्चः– 04:30 बजे।

वादी अनुपस्थित।

वादी की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रतिवादीगण अनिर्वाहित।

प्रकरण वादी एवं अधिवक्ता की उपस्थिति हेतु नियत है।

वादी एवं उसके अधिवक्ता को पुनः पुकार लगायी गयी। बार–बार पुकार लगाये जाने के उपरांत भी उनकीकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनुपस्थिति के कारण आज प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात से प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु नियत चला आ रहा है परंतु वादी की ओर से उपस्थिति हेतु नियमित तलवाना अदा नहीं किया जा रहा है और विगत दिनांक को भी वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं था। न्यायहित में वादी पक्ष को एक अंतिम अवसर दिया गया था परंतु आज दिनांक को न ही वादी और न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित है। वादी के उक्त आचरण से दर्शित है कि वह प्रकरण को चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। जिससे न्यायालय के बहुमूल्य समय की हानि हुई है।

अतः **आज दिनांक को वादी की अनुपस्थिति में**

आदेश 9 नियम 8 सी0पी0सी के प्रावधानों के अधीन वाद खारिज किया जाता है।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्ज कर अभिलेख सुव्यवस्थित करके विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(चाहना शर्मा)
नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
ग्वालियर, म0प्र0

CHAHANA SHARMA

Digitally signed by CHAHANA SHARMA
Date: 2026.07.30 17:38:12 +0530